

## विषय सूची

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	xv
कार्यकारी सारांश	-	1-16
<b>अध्याय 1</b>		
<b>परिचय</b>		
स्वास्थ्य संकेतक	1.1	18
संगठनात्मक संरचना	1.2	21
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	23
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	23
लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	1.5	24
प्रतिवेदन की संरचना	1.6	26
<b>अध्याय 2</b>		
<b>मानव संसाधन</b>		
राज्य में मानव संसाधनों की कमी	2.1	27
डीएच/ सीएचसी/ पीएचसी में मानव संसाधनों की उपलब्धता	2.2	31
डीएच/ सीएचसी में विशेषज्ञों की कमी	2.3	33
चिकित्सा महाविद्यालयों में मानव संसाधनों की उपलब्धता	2.4	36
शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ की कमी	2.4.1	36
स्वीकृत बल के विरुद्ध शैक्षणिक स्टाफ की अत्यधिक तैनाती	2.4.2	39
आयुष केन्द्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता	2.5	39
आयुष संस्थानों में शिक्षकों/कर्मचारियों की कमी	2.5.1	39
औषधालयों में एमओ/कर्मचारियों की कमी	2.5.2	40
स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र में मानव संसाधनों की उपलब्धता	2.6	42
<b>अध्याय 3</b>		
<b>स्वास्थ्य सेवाएँ</b>		
बाह्य रोगी सेवाएँ	3.1	45
बाह्य रोगी विभाग में पंजीकरण सुविधा	3.1.1	46
बाह्य रोगी सेवा की उपलब्धता	3.1.2	49
ओपीडी में रोगी भार	3.1.3	50
ओपीडी में रोगी परामर्श समय	3.1.4	52
ओपीडी में आधारभूत सुविधाओं की कमी	3.1.5	53
अंतःरोगी सेवाएँ	3.2	55
अंतःरोगी (आइपीडी) सेवाओं की उपलब्धता	3.2.1	55
शल्य कक्ष	3.2.2	57

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
शल्य कक्ष (ओटी) की उपलब्धता	3.2.2.1	57
शल्य-कक्ष प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण	3.2.2.2	58
गहन देखभाल इकाइयों की उपलब्धता	3.2.3	60
आपातकालीन सेवाएँ	3.2.4	60
आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता	3.2.4.1	61
रोगियों का ट्राइएजिंग और औसत टर्न-अराउंड समय	3.2.4.2	62
बर्न वार्ड	3.2.5	62
नेत्र संबंधी सेवाएँ	3.2.6	63
आहार सेवाएँ	3.2.7	64
परिणाम संकेतकों का मूल्यांकन	3.2.8	65
रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण	3.2.9	68
नैदानिक सेवाएँ	3.3	69
प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता	3.3.1	70
प्रयोगशाला सेवाओं की गुणवत्ता आश्वासन	3.3.2	72
प्रतीक्षा समय और टर्न-अराउंड समय	3.3.3	73
मातृत्व सेवाएँ	3.4	73
प्रसव पूर्व देखभाल	3.4.1	74
अंतर्गर्भाशयी देखभाल	3.4.2	74
प्रसवोत्तर और नवजात शिशु की देखभाल	3.4.3	75
प्रसव के 48 घंटे के भीतर माताओं को छुट्टी	3.4.4	76
मातृ मृत्यु और मातृ मृत्यु समीक्षा	3.4.5	77
संस्थागत प्रसव हेतु नकद सहायता के भुगतान में विलम्ब	3.4.6	78
ऑक्सीजन सेवाएँ	3.5	80
मोबिलिटी सेवाएँ	3.6	81
मोबाइल चिकित्सा यूनिट	3.6.1	81
एम्बुलेंस सेवाएँ	3.6.2	83
108 एंबुलेंस सेवाएँ	3.6.2.1	84
संक्रमण नियंत्रण	3.7	85
मानक संचालन प्रक्रियाएं	3.7.1	86
कीट और कृतक नियंत्रण	3.7.2	87
कीटाणुशोधन और विसंक्रमण	3.7.3	87
लॉन्ड्री सेवाएँ	3.7.4	88
लिनेन की उपलब्धता	3.7.4.1	88
लॉन्ड्री सेवाओं में अन्य कमियाँ	3.7.4.2	89

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन	3.7.5	91
सार्वजनिक सुरक्षा और रोगी अधिकार	3.8	93
शवगृह सेवाएँ	3.9	96
शैक्षणिक अस्पताल	3.10	96
वाह्य रोगी विभाग	3.10.1	96
अंतः रोगी विभागों में बिस्तर अधिभोग	3.10.2	97
ब्लड बैंक	3.11	99
आयुष	3.12	101
वाह्य रोगी सेवाओं की उपलब्धता	3.12.1	101
आपातकालीन प्रबंधन	3.13	102
उद्देश्य	3.13.1	103
कोविड स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना	3.13.2	104
कोविड-19 का वित्तीय प्रबंधन	3.13.3	105
कोविड-19 निधि की कम विमुक्ति एवं उपयोगिता	3.13.3.1	106
निधि विमुक्त करने में विलंब	3.13.3.2	107
एसडीआरएफ निधि का अल्प उपयोगिता	3.13.3.3	107
पीएम केयर निधि की उपयोगिता	3.13.3.4	108
संदिग्ध कोविड-19 रोगियों का आरटी-पीसीआर परीक्षण	3.14	108
<b>अध्याय 4</b>		
<b>दवाओं, औषधियों, उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता</b>		
दवाओं और उपकरणों की खरीद	4.1	111
निधियों की उपयोगिता	4.2	112
आवश्यक औषधियाँ	4.3	115
आवश्यक दवाओं की खरीद	4.3.1	115
आवश्यक औषधियों की उपलब्धता	4.3.2	116
अल्प जीवन अवधि वाली दवाओं की खरीद	4.3.3	118
प्रतिबंधित कंपनी से दवाओं की खरीद	4.3.4	119
ओटी, आईसीयू और मातृत्व आईपीडी में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता	4.3.5	120
ओटी में दवाओं की उपलब्धता	4.3.5.1	120
आईसीयू में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता	4.3.5.2	120
प्रसूति आईपीडी में दवाओं की उपलब्धता	4.3.5.3	121
प्रसूति में उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता	4.3.5.4	122
उपकरण की उपलब्धता	4.4	123

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
ओटी में उपकरणों की उपलब्धता	4.4.1	123
आईसीयू उपकरण की उपलब्धता	4.4.2	124
नेत्र विज्ञान उपकरणों की उपलब्धता	4.4.3	125
रेडियोलॉजिकल उपकरणों की उपलब्धता	4.4.4	126
प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता	4.4.5	130
विशेष नवजात देखभाल इकाई में उपकरणों की उपलब्धता	4.4.6	132
मातृत्व आईपीडी में उपकरणों की उपलब्धता	4.4.7	133
निष्क्रिय पड़े हुए उपकरण	4.4.8	134
चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरणों की उपलब्धता	4.4.9	135
चिकित्सा महाविद्यालयों में विभागवार चिकित्सा उपकरणों की कमी	4.4.9.1	135
चिकित्सा उपकरणों को अनुपयोगी घोषित न करना	4.4.9.2	137
दंत चिकित्सा उपकरणों की खरीद	4.5	137
गुणवत्ता आश्वासन	4.6	138
गुणवत्ता की पुष्टि किये बिना दवाओं का वितरण	4.6.1	139
निम्न-स्तरीय दवाओं का वितरण	4.6.2	140
भंडार प्रबंधन	4.7	143
भंडार पंजियों का रखरखाव और भंडारों का भौतिक सत्यापन	4.7.1	146
आपूर्ति एवं वितरण	4.7.2	147
कोविड-19 दवाओं का बफर स्टॉक प्रबंधन	4.8	149
राज्य स्तर पर कोविड-19 दवाओं के बफर स्टॉक की उपलब्धता	4.8.1	149
रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता एवं उपयोगिता	4.8.2	150
रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में अनियमितता	4.8.3	151
रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेखाकरण नहीं होना	4.8.4	152
सरकारी धन की हानि	4.8.5	152
वेंटिलेटर्स की उपयोगिता	4.9	153
निजी अस्पतालों से वेंटिलेटर्स का किराया न वसूला जाना	4.10	154
कम क्षमता वाली दवाओं की आपूर्ति	4.11	154
बिना उचित आकलन के पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद	4.12	155
जिला संयुक्त आयुष औषधालयों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता	4.13	156
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आवश्यक दवाओं, उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता	4.14	157

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में नैदानिक जाँच	4.15	158
<b>अध्याय 5</b>		
<b>स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना</b>		
योजना	5.1	161
चिकित्सा महाविद्यालय	5.2	161
नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	5.2.1	163
मेडिकल सीटें	5.2.2	164
स्नातक (यू.जी.) सीटें	5.2.2.1	164
यू.जी. सीटों में बढ़ोतरी	5.2.2.2	165
विद्यमान महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सीटें	5.2.2.3	166
एस.एन.एम.एम.सी.एच (तत्कालीन पी.एम.सी.एच) में पी.जी सीटों का सृजन	5.2.2.4	166
चिकित्सा महाविद्यालयों में यू.जी और पी.जी सीटों की उपयोगिता	5.2.2.5	167
क्रियाशील आयुष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता की उपयोगिता	5.2.2.6	169
ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	5.2.2.7	170
एम.सी.आई का निरीक्षण	5.2.2.8	171
चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात	5.3	172
पांच-सौ बिस्तर वाले अस्पताल	5.4	173
डायलिसिस केंद्र	5.5	173
जिला अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता	5.6	175
प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएँ	5.7	177
मेडिको सिटी की स्थापना	5.8	180
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	5.9	180
स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना	5.10	181
अवसंरचना का निर्माण	5.10.1	183
कोडरमा और चाईबासा में चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण	5.10.2	183
फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका का निर्माण	5.10.3	185
शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद	5.10.4	186
सरायकेला-खरसावां में 500 बिस्तर वाले अस्पताल भवन का निर्माण	5.10.5	186

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
सी.एच.सी., ललपनिया के निर्माण पर ₹ 5.48 करोड़ का निष्फल व्यय	5.10.6	188
हंसडीहा, दुमका में 100 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण पर ₹ 30.18 करोड़ का निष्क्रिय व्यय	5.10.7	189
अपात्र स्थल पर पी.एच.सी. के निर्माण के कारण ₹ 99.73 लाख का निष्फल व्यय	5.10.8	190
ढाई वर्ष से 5.5 वर्ष तक सरकारी धन का अनियमित प्रतिधारण	5.10.9	191
कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना	5.11	191
नव निर्मित चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेष प्रयोगशाला की स्थापना	5.11.1	191
आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढीकरण	5.11.2	192
पी.आई.सी.यू. बिस्तर का विस्तार	5.11.3	193
प्री-फैब्रिकेटेड इकाइयों के प्रावधान के द्वारा अतिरिक्त बिस्तरों का विस्तार	5.11.4	194
चिकित्सा गैस पाईपलाईन प्रणाली के साथ तरल चिकित्सा ऑक्सीजन	5.11.5	194
बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	5.11.6	195
बाल चिकित्सा समर्पित देखभाल इकाइयों की स्थापना	5.11.7	195
पेशर स्विंग एडजोर्प्शन (पी.एस.ए) ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना	5.11.8	196
रुचि के अन्य बिंदुएँ	5.12	196
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खरौंदी का निष्क्रिय भवन	5.12.1	196
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवनाथपुर के निर्माण पर निष्फल व्यय	5.12.2	197
राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण न करना	5.12.3	198
<b>अध्याय 6</b>		
<b>वित्तीय प्रबंधन</b>		
वित्तीय प्रबंधन	6	201
स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च	6.1	201
स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट आवंटन और व्यय (केंद्र और राज्य सरकार)	6.2	202
राजस्व और पूंजीगत व्यय	6.2.1	203
एन.एच.एम. के अंतर्गत विमुक्त निधियाँ	6.3	204

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
बकाया अग्रिम	6.4	205
वर्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र	6.5	206
राज्य बजट के अंतर्गत आयुष हेतु बजट प्रावधान	6.6	206
पंद्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान	6.7	207
<b>अध्याय 7</b>		
<b>केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन</b>		
केन्द्र प्रायोजित योजनायें	7	209
स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र	7.1	209
लक्ष्य और उपलब्धि	7.1.1	209
एचडब्ल्यूसी में टेलीमेडिसिन सेवाएँ	7.1.2	211
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	7.1.3	212
राष्ट्रीय आयुष मिशन	7.2	213
एनएएम के अंतर्गत आयुष के कार्यान्वयन की रूपरेखा	7.2.1	213
राज्य आयुष सोसायटी का गठन	7.2.1.1	213
शासी निकाय	7.2.1.2	213
कार्यकारी निकाय	7.2.1.3	214
राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	7.2.1.4	214
जिला आयुष सोसायटी	7.2.1.5	215
एनएएम के तहत विमुक्त निधियों का उपयोग	7.2.2	215
मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आयुष सुविधाओं के सह-स्थान का अभाव	7.2.3	217
अस्पतालों में आयुष कल्याण केंद्र	7.2.4	217
आयुष सुविधाओं में खेल औषधि की उपलब्धता	7.2.5	218
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	7.3	218
एसएनएमएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए भवन का निर्माण	7.3.1	218
निष्क्रिय चिकित्सा उपकरण	7.3.2	220
<b>अध्याय 8</b>		
<b>विनियामक तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता</b>		
परिचय	8	223
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन	8.1	223
रेडियोलॉजी सेवा के लिए एईआरबी अनुज्ञप्ति	8.2	224
जिला अस्पतालों की मान्यता	8.2.1	224
क्लीनिकल स्थापना अधिनियम, 2010 का कार्यान्वयन	8.3	224

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
झारखण्ड राज्य परिषद (जेएससी) का कार्यपद्धति	8.3.1	225
जिला पंजीकरण प्राधिकरणों (डीआरए) के गठन में विलंब	8.3.2	226
निजी स्वास्थ्य केन्द्रों की कार्यपद्धति	8.3.3	227
निजी क्लीनिकल प्रतिष्ठानों का पंजीकरण	8.3.4	228
उचित पंजीकरण के बिना सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	8.3.5	228
निजी क्लीनिकल प्रतिष्ठानों का संचालन	8.3.6	229
अग्नि सुरक्षा मानदंड	8.4	229
राज्य औषधि नियंत्रक	8.5	230
औषधि निरीक्षकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण	8.5.1	231
ब्लड बैंक की सुविधा	8.6	232
अनुश्रवण समितियों की कार्यप्रणाली	8.7	233
निजी क्लीनिकल स्थापनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन	8.8	233
क्लीनिकल सेवाओं की उपलब्धता	8.8.1	235
निजी अस्पतालों में अन्य अनियमितताएं	8.8.2	236
<b>अध्याय 9</b>		
<b>सतत् विकास लक्ष्य-3</b>		
परिचय	9.1	239
एसडीजी-3 लक्ष्य	9.2	239
स्वास्थ्य संकेतकों की स्थिति	9.3	240
संस्थागत तंत्र	9.4	241
राज्य स्तरीय संचालन समिति	9.5	242
राज्य संकेतक ढाँचा (एसआईएफ) और मानचित्रण	9.6	242



## परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	कंडिका	पृष्ठ
1.1 क	मार्च 2022 तक राज्य में जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों की सूची	परिचय	245
1.1 ख	मार्च 2022 तक राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची	परिचय	246
1.1 ग	मार्च 2022 तक राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची	परिचय	248
1.2 क	चयनित जिले, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों का विवरण	1.5	251
1.2 ख	चयनित आयुष महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का विवरण	1.5	251
1.2 ग	चयनित निजी अस्पतालों का विवरण	1.5	252
1.2 घ	नमूना-जाँचित स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की सूची	1.5	252
2.1	मार्च 2022 तक जिला अस्पताल/ सा.स्वा.कें/ प्रा.स्वा.कें में चिकित्सा पदाधिकारी/ विशेषज्ञ/ स्टाफ नर्स/ पैरामेडिक्स का स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति को दर्शाने वाला विवरण	2.2	253
2.2	नमूना-जाँचित सा.स्वा.कें/ प्रा.स्वा.कें. में चिकित्सा पदाधिकारियों/ विशेषज्ञों, पैरामेडिक्स और स्टाफ की उपलब्धता एवं कमी को दर्शाने वाला विवरण	2.2	254
2.3 क	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों में डायग्नोस्टिक्स सेवाओं के लिए मानव संसाधन की कमी	2.3	256
2.3 ख	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डायग्नोस्टिक्स सेवाओं के लिए मानव संसाधन की कमी	2.3	257
2.3 ग	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डायग्नोस्टिक्स सेवाओं के लिए मानव संसाधन की कमी	2.3	258
2.4 क	जुलाई 2022 तक राज्य के सभी छः एमसीएच के शैक्षणिक कर्मचारियों के स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्ति को दर्शाने वाला विवरण	2.4.1	259

परिशिष्ट सं.	विवरण	कंडिका	पृष्ठ
2.4 ख	जुलाई 2022 तक राज्य के सभी छः एमसीएच के गैर शैक्षणिक संकाय की स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति को दर्शाने वाला विवरण	2.4.1	260
2.5	नमूना-जाँचित एमसीएच के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति की स्थिति का वर्षवार विवरण	2.4.1	261
3.1	मार्च 2022 तक राज्य के जिला अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण	3.1.2	262
3.2	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाह्य रोगियों का प्रवाह	3.1.3	263
3.3	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान नमूनाकृत महीनों में नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों में बाह्य रोगियों का प्रवाह और बाह्य रोगी विभागों में औसत परामर्श समय (मिनटों में)	3.1.4	264
3.4	मार्च 2022 तक राज्य के जिला अस्पतालों में आईपीडी सेवाओं की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण	3.2.1	266
3.5	मार्च 2022 तक राज्य के जिला अस्पतालों में ओटी की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण	3.2.2.1	267
3.6 क	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता	3.3.1	268
3.6 ख	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता	3.3.1	268
3.7	सभी जिला अस्पतालों में मातृत्व एवं शिशु देखभाल के लिए बिस्तरों की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण	3.4	269
3.8	वित्तीय वर्ष 2016-22 के दौरान राज्य में और नमूना-जाँचित जिलों में प्रसव के 48 घंटों के भीतर छुट्टी दी गई माताओं का विवरण	3.4.4	270

परिशिष्ट सं.	विवरण	कंडिका	पृष्ठ
3.9 क	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान लाभार्थियों को जे.एस.वाई. नकद सहायता का भुगतान	3.4.6	271
3.9 ख	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान नमूना-जाँचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लाभार्थियों को जे.एस.वाई. नकद सहायता का भुगतान	3.4.6	272
3.9 ग	नमूना-जाँचित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में लाभार्थियों को नकद सहायता का विलंब/ गैर-भुगतान	3.4.6	273
3.10 क	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों में लिनेन की उपलब्धता	3.7.4.1	274
3.10 ख	आवश्यकता से अधिक लिनेन की उपलब्धता	3.7.4.1	275
3.10 ग	2021-22 के दौरान नमूना-जाँचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लिनेन की उपलब्धता	3.7.4.1	276
3.11	चार ओपीडी में चयनित विभागवार उपचारित रोगियों की संख्या, ओपीडी में उपलब्ध विशेषज्ञों की संख्या और नमूना महीनों के दौरान प्रति मरीज लिया गया औसत समय दर्शाने वाला विवरण	3.10.1	277
3.12	एनएचएम को विमुक्त और आवंटित निधि का विवरण	3.13.3.2	278
3.13	प्राप्त और परीक्षण किए गए नमूनों का विवरण	3.14	279
4.1	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान राज्य निधियों की उपयोगिता का विवरण	4.2	280
4.2	निधियों के अनुपयोग का विवरण	4.2	280
4.3	आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) के अनुसार आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का विवरण	4.3.2	281
4.4	वितरण के समय कम शेल्फ लाइफ की दवाओं की खरीद का विवरण	4.3.3	282
4.5	निर्माण के निर्धारित 30 दिनों के बाद आपूर्ति की गई एक्सपायर्ड दवाओं का विवरण	4.3.3	285
4.6	मार्च 2022 तक आईसीयू में उपकरणों की उपलब्धता	4.4.2	288

परिशिष्ट सं.	विवरण	कंडिका	पृष्ठ
4.7 क	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के एक्स-रे कक्ष के सहायक उपकरणों की उपलब्धता	4.4.4	289
4.7 ख	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के एक्स-रे कक्ष के सहायक उपकरणों की उपलब्धता	4.4.4	289
4.8	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित जिला अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता/अनुपलब्धता	4.4.5	290
4.9	गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले आपूर्ति की गई दवाओं का विवरण	4.6.1	291
4.10 क	ई-औषधि पोर्टल में दर्ज नहीं पायी गई दवाओं का विवरण	4.7.1	292
4.10 ख	ई-औषधि पोर्टल के विरुद्ध भौतिक भंडार में उपलब्ध दवाओं की अधिक मात्रा का विवरण	4.7.1	293
4.10 ग	ई-औषधि पोर्टल के विरुद्ध भौतिक भंडार में उपलब्ध दवाओं की कम मात्रा का विवरण	4.7.1	294
4.11	जिला अस्पताल, सरायकेला-खरसावाँ में इंजेक्शन रेमडेसिविर का गैर/ कम लेखांकन का विवरण	4.8.4	295
4.12	निजी स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये पर दिये गये वेंटीलेटरों तथा उसका देय किराया एवं प्रतिभूति राशि जमा न करने का विवरण	4.10	296
5.1	राज्य में जिला अस्पतालों में बिस्तर की आवश्यकता, उपलब्धता और कमी को दर्शाने वाला विवरण	5.6	297
5.2	मार्च 2022 तक राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की आवश्यकताओं और उपलब्धता के बीच अंतर दिखाने वाला विवरण	5.7	298
5.3	पीजी कार्यक्रम के लिए स्वीकृत पाँच सिविल कार्यों का विवरण	5.10.4	299
5.4	रुकी हुई/बन्द की गई योजनाओं के संबंध में अग्रिम आहरित सरकारी धन का अनियमित प्रतिधारण	5.10.9	300

परिशिष्ट सं.	विवरण	कंडिका	पृष्ठ
6.1	वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान राज्य बजट के अन्तर्गत नमूना-जाँचित जिलों में आवंटन एवं व्यय	6.2.1	302
7.1	31 जुलाई 2022 को एसएनएमएमसीएच, धनबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निष्क्रिय पड़े चिकित्सा उपकरणों की सूची	7.3.2	303
8.1	मार्च 2022 तक वैध पंजीकरण के बिना संचालित निजी क्लीनिकल प्रतिष्ठानों का विवरण	8.3.6	305
8.2	नमूना-जाँचित जिलों में डीआई द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन जारी करने की तुलना में औषधियों के नमूना के संग्रहण में कमियां	8.5.1	315
8.3	मार्च 2022 तक नमूना-जाँचित ब्लड बैंकों में उपकरणों की कमी	8.6	316
8.4	अगस्त 2022 तक निजी स्वास्थ्य केन्द्रों में आपातकालीन दवाओं की कमी का विवरण	8.8.2	316
	संक्षिप्ताक्षरों की शब्दावली		317



## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

मौजूदा नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में महत्वपूर्ण कमियों का आकलन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान देखे गए और साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में देखे गए, परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षा निर्देशिका और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सहयोग को लेखापरीक्षा स्वीकार करना चाहता है।